रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED No. D. (D.N.)—73

11.7.83

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 9, 1983/चैत्र 19, 1905

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 9, 1983/CHAITRA 19, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II -खण्ड 3 —उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1983

सा० का० नि० 292.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (प्रशिक्षण स्थापना पद) भर्ती नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (प्रशिक्षण स्थापना पद) भर्ती संशोधन नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (प्रशिक्षण स्थापना पद) भर्ती नियम, 1961 की अनुसूची में, सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा अर्थात्:—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक	4 (चार) कार्य-भार के आधार पर परिव-र्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित लिपिकवर्गीय	425-15-500-ब०रो० 15-560-20-640 रु०	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति / भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनि-युक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किए जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रति-नियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थाना-न्तरण द्वारा	प्रोन्नति: (1) एकादमी के कार्यालय में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक, जिन्होंने उच्च श्रेणी लिपिक की श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की है। (2) अकादमी के कार्यालय में ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक और स्वागतकर्ता, जिसने उच्च श्रेणी लिपिक और स्वा-गतकर्ता की श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की है।	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति संयुक्त निदेशक —अध्यक्ष उप निदेशक —सदस्य कोई बाहर का व्यक्ति—सदस्य सहायक निदेशक—सदस्य	

12	
	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : गृह मंत्रालय संवर्ग के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।

[सं० 13012/5/82 प्रशि० (2)]
राम सिंह शकुन्त, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Deptt. of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 23rd March, 1983

G. S. R. 292.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment Post) Recruitment Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment Post) Recruitment Amendment Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment Post) Recruitment Rules, 1961 for serial No. 3 relating to the post of Assistant & the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of post	No. of posts.	Classification	Sacle of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7	8
Assistant * Subject to variations.	4* (four)	General Central Service Group 'C' Non-gazetted Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-640	Non-Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	By promotion failing which by transfer on deputation	Promotion : (i) Upper Division Clerk in the office of the Academy with atleast 5 years regular service in the Upper	Group 'C' Departmental Promotion Committees Joint Director—Chairman.	

12	13
Division Clerk grade. (ii) Upper Division Clerks-cum-Receptionist in the office of the Academy with atleast 5 years regular service in the grade of Upper Division Clerk-cum-Receptionist. Transfer on deputation: Upper Division Clerks with 5 years regular service in the grade from the cadre of Ministry of Home Affairs.	Deputy Director—Member Outsider—Member Asstt. Director—Member

[No. 13012/5/82-Trg. II]
R. S. SHAKUNT, Under Secy.

नई दिल्ली 24 मार्च, 1983

प्रारूप अधिसूचना

सा० का० नि० 293.—भारत सरकार अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, संबद्ध राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं) नियम, 1958 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय (मृत्यु तथा सेवा निवृत्त प्रसुविधाएं) संशोधन नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अखिल भारतीय (मृत्यु तथा सेवा निवृत्त प्रसुविधाएं) नियम 1958 के (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5क के उपनियम (2) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा, अर्थात् :—

"(ख) उस तारीख को, जिसमें संराशित मूल्य इस शर्त के अधीन रहते कि सेवा का सदस्य पेंशन की शेष रकम लेने के अपने अधिकार, अभ्यर्पित करता है, विद्यमान संराशन सारणियों के प्रति निर्देश के संगणित की जाने वाली पेंशन के एक तिहाई को सारांशित करने के पश्चात् बाकी बची पेंशन की शेष रकम के संराशित मूल्य के बराबर सेवान्त प्रसुविधाएं।"

3. उक्त नियमों के नियम 22 के उपनियम (10) का लोप किया जायेगा।

"22ख—लागू होना (1) यह नियम—

(क) सेवा के उन सभी सदस्यों को लागू होगा जो 1 जनवरी, 1964 को या उसके पश्चात् सेवा में नियुक्त किए गए हैं।

(ख) उन सभी को लागू होगा जो 31 दिसम्बर, 1963 को सेवा के सदस्य थे और जिन्होंने केन्द्रीय सरकार द्वारा जा किए गए साधारण या विशेष आदेशों के अधीन इस नियम का विकल्प किया हो या जिनके बारे में यह समझा जाता है कि उन्होंने वैसा विकल्प किया है।

(2) नियम 22 ग के उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन का मापमान इस प्रकार होगा:

(1) जहां सेवा के सदस्य का वेतन 1200 रुपए या इससे अधिक हो वहां न्यूनतम 160 रुपए मास और अधिकतम 250 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए वेतन का 12 प्रतिशत।

(2) जहां सेवा के सदस्य का वेतन 1199 रुपए या इससे कम हो वहां न्यूनतम 100 रुपए प्रतिमास और अधिकतम 160 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए वेतन का 15 प्रतिशत।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "वेतन" में वह श्रेणी वेतन और साथ ही विशेष वेतन यदि कोई हो होगा जिसे सेवा का सदस्य सेवा के दौरान अपनी मृत्यु की तारीख को या अपनी सेवा निवृत्ति के ठीक पूर्व ले रहा था या यदि निर्णायक तारीख को सेवा का सदस्य छुट्टी पर (जिसमें असाधारण छुट्टी भी शामिल है) रहने के कारण कार्य से अनुपस्थित रहा हो तो "वेतन" से वह वेतन अभिप्रेत होगा जो उसने ऐसी छुट्टी पर जाने से या निलम्बित होने से ठीक पूर्व लिया था।"

(3) वह अवधि जिसके लिये कुटुम्ब पेंशन देय है इस प्रकार होगी :—

(1) विधवा/विधुर की दशा में मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक, इन दोनों में से जो भी पहले हो

(2) पुत्र की दशा में, जब तक वह 21 वर्ष की आयु पूरी न कर ले तब तक, और

(3) अविवाहिता पुत्री की दशा में, जब तक वह 21 वर्ष की आयु पूरी न कर ले या विवाह न कर ले, इन दोनों में से जो भी पहले हो, तब तक।

परन्तु यह कि यदि सेवा के सदस्य का पुत्र या पुत्री किसी विकार या चित्त अशक्तता से ग्रस्त है या शारीरिक रूप से इस प्रकार अपंग या अशक्त है कि पुत्र की दशा में 21 वर्ष की आयु और पुत्री की दशा में 24 वर्ष आयु पूरी कर लेने पर भी जीविका का उपार्जन करने में असमर्थ है तो ऐसे पुत्र या पुत्री को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए आजीवन पेंशन संदेय होगी, अर्थात् :—

(क) यदि ऐसा पुत्र या पुत्री सेवा के सदस्य के दो या अधिक बालकों में से एक है तो कुटुम्ब पेंशन प्रारम्भ में इस नियम के उप नियम (5) के खण्ड (iii) में दिए गए क्रम में अवयस्क बालकों को तब तक संदेय होगी जब तक कि अंतिम अवयस्क बालक, यथास्थिति, 21 या 24 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता है और तत्पश्चात् कुटुम्ब पेंशन विकार या चित्त आशक्तता से ग्रस्त या शारीरिक रूप से अपंग या अशक्त पुत्र या पुत्री को चालू कर दी जाएगी और उसे आजीवन संदेय होगी।

(ख) यदि एक से अधिक पुत्र या पुत्री विकार या चित्त अशक्तता से ग्रस्त या शारीरिक रूप से अपंग या अशक्त है तो कुटुम्ब पेंशन निम्नलिखित क्रम में संदत्त की जाएगी, अर्थात्:—

(i) प्रथमतः पुत्र को, और यदि एक से अधिक पुत्र है तो उनमें से छोटा बड़े के जीवनकाल के पश्चात् ही कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करेगा ;

(ii) द्वितीयतः पुत्री की और यदि एक से अधिक पुत्रियां है तो उनमें से छोटी, बड़ी के जीवन काल के पश्चात् ही कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करेगी ;

(ग) ऐसे पुत्र या पुत्री को कुटुम्ब पेंशन संरक्षक की मार्फत की जाएगी मानो वह अवयस्क हो ;

(घ) ऐसे पुत्र या पुत्री को आजीवन, कुटुम्ब पेंशन अनुज्ञात करने से पूर्व मंजूरी अधिकारी अपना यह समाधान कर लेगा कि बाधा ऐसी प्रकृति की है। जिससे कि वह अपनी जीविका का उपार्जन करने से वंचित हो गया/गई है ऐसे चिकित्सा अधिकारी से, जो सिविल सर्जन को पंक्ति से नीचे का नहीं है, एक प्रमाण पत्र से साक्षियत हो जिसमें बालक की वास्तविक मनःस्थिति या शारीरिक स्थिति दी गई हो;

(ङ) ऐसे पुत्र या पुत्री के संरक्षक की हैसियत में कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रत्येक तीन वर्ष में ऐसे चिकित्सा अधिकारी से, जो सिविल सर्जन की पंक्ति से कम का नहीं है, इस प्रभाव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि यह विकार या चित्त अशक्तता से ग्रस्त या शारीरिक रूप से अपंग या अशक्त बनी हुई है।

टिप्पण : 1—इस उप नियम के अधीन कुटुम्ब पेंशन के अनुदान के प्रयोजन के लिये वही शक्तता गणना में ली जाएगी जो सेवा के सदस्य की सेवा निवृत्ति या सेवा के दौरान मृत्यु के पूर्व प्रकट हो जाती है।

2. कोई पुत्री इस उपनियम के अधीन कुटुम्ब पेंशन की उस तारीख से अपात्र हो जाएगी जिस तारीख को उसका विवाह हो जाता है।

3. ऐसे पुत्र या पुत्री की कुटुम्ब पेंशन रोक दी जायेगी यदि वह अपनी जीविका का उपार्जन करना प्रारंभ कर देता/देती है।

4. ऐसे मामलों में संरक्षक का कर्तव्य है कि वह यथा-स्थिति, खजाने या बैंक को प्रत्येक मास यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि

(i) उसने अपनी जीविका का उपार्जन करना प्रारंभ नहीं किया है ;

(ii) पुत्री की दशा में यह कि उसका विवाह नहीं हुआ है।

4(क)(1) जहां कुटुम्ब पेंशन एक से अधिक विधवाओं को संदेय है वहां कुटुम्ब पेंशन विधवाओं को बराबर अंशों में दी जायेगी।

(2) किसी विधवा की मृत्यु पर कुटुम्ब पेंशन का उसका अंश उसके पात्र बालक को संदेय हो जायेगा :

परन्तु यह अंक यदि विधवा का कोई जीवित बालक नहीं है तो कुटुम्ब पेंशन का अंश संदेय नहीं रह जाएगा।

(ख) जहां सेवा के मृतक सदस्य या पेंशनभोगी की जीवित कोई विधवा है किन्तु किसी अन्य पत्नी से जो जीवित नहीं है अपने पीछे कोई पात्र बालक छोड़ गया है, वहां पात्र बालक कुटुम्ब पेंशन के उस अंश का/के जो माता यदि वह सेवा के सदस्य या पेंशन भोगी की मृत्यु के समय जीवित होती तो प्राप्त करती, हकदार होगा/होंगे।

5(1) जैसा उपनियम (4) में उपबंधित है उसके सिवाए कुटुम्ब पेंशन एक समय में कुटुम्ब के एक से अधिक सदस्यों को संदेय नहीं होगी।

(2) यदि सेवा का सदस्य या पेंशनभोगी अपने पीछे विधवा या विधुर छोड़ जाता/जाती है तो कुटुम्ब पेंशन विधवा या विधुर को, जिसके न हो सकने पर पात्र बालक को संदेय हो जाएगी।

(3) यदि पुत्र और अविवाहित पुत्रियां जीवित हैं तो अविवाहिता पुत्रियां कुटुम्ब पेंशन की तब तक पात्र नहीं होंगी जब तक कि पुत्र 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते और इस प्रकार कुटुम्ब पेंशन के अपात्र नहीं हो जाते।

(6) जहां सेवा का मृतक सदस्य या पेंशनभोगी अपने पीछे एक से अधिक बालक छोड़ जाता है वहां ज्येष्ठतम पात्र बालक यथास्थिति, खण्ड (2) या खण्ड (3) में वर्णित अवधि के लिये कुटुम्ब पेंशन का हकदार होगा और उस अवधि की समाप्ति के पश्चात् अगला बालक कुटुम्ब पेंशन के अनुदान का पात्र हो जाएगा।

(7) जहां इस नियम के अधीन कुटुम्ब पेंशन किसी अवयस्क को अनुदत्त की जाती है, वहां वह अवयस्क को निमित्त उसके संरक्षक को संदेय होगी।

(8) उस मामले में जहां पत्नी और पति दोनों सेवा के सदस्य हैं और इस नियम के उपबंधों से शासित होते हैं और उनमें से एक की सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के पश्चात् मृत्यु हो जाती है, वहां मृतक की बाबत कुटुम्ब पेंशन उत्तरजीवी पति या पत्नी को संदेय हो जाएगी और पति या पत्नी की मृत्यु हो जाने की दशा में उत्तरजीवी बालक/बालकों को मृतक माता और पिता की बाबत दो कुटुम्ब पेंशन नीचे विनिर्दिष्ट सीमाओं के अधीन रहते हुए दी जाएगी, अर्थात् :—

(क) (i) यदि उत्तरजीवी बालक नियम 22-ग में वर्णित दर से कुटुम्ब पेंशन लेने का/के हकदार हैं/हैं तो दोनों पेंशनों की रकम पांच सौ रुपये प्रति मास तक सीमित होगी;

(ii) यदि उपनियम 22-ग में वर्णित दर से संदेय कुटुम्ब पेंशनों में से एक संदेय नहीं रह जाती है और उसके बजाए इस नियम के उपनियम (2) में वर्णित दर से पेंशन संदेय हो जाती है, तो दोनों पेंशनों की रकम भी पांच सौ रुपये प्रतिमास तक सीमित होगी ;

(ख) यदि दोनों कुटुम्ब पेंशनों इस नियम के उपनियम (2) में वर्णित दरों से संदेय हैं तो दोनों पेंशनों की रकम दो सौ पचास रुपये प्रतिमास तक सीमित होगी।

(9) जहां सेवा के सदस्य की जो अपने पीछे, यथास्थिति, न्यायिक रूप से पृथककृत पति या पत्नी छोड़ जाता है और कोई बालक नहीं छोड़ जाता है, वहां मृतक की बाबत कुटुम्ब पेंशन उत्तरजीवी व्यक्ति को संदेय होगी :

परन्तु यह कि जहां किसी मामले में न्यायिक पृथक्करण जारकर्म के आधार पर मंजूर किया जाता है और सेवा के सदस्य की मृत्यु ऐसे न्यायिक पृथककरण की अवधि के दौरान हो जाती है वहां कुटुम्ब पेंशन उत्तरजीवी व्यक्ति को संदेय नहीं होगी यदि ऐसा उत्तरजीवी व्यक्ति जारकर्म का दोषी अभिनिर्धारित किया गया था।

(10) (क) जहां सेवा के किसी सदस्य को, जो अपने पीछे न्यायिक रूप से पृथककृत, यथास्थिति, पति या पत्नी, बालक या बालकों सहित छोड़ जाता है, वहां मृतक की बाबत कुटुम्ब पेंशन उत्तरजीवी व्यक्ति को संदेय होगी परन्तु यह तब जब कि ऐसे बालक या बालकों का संरक्षक है।

(ख) जहां उत्तरजीवी व्यक्ति ऐसे बालक या बालकों का संरक्षक नहीं रह गया है, वहां ऐसी कुटुम्ब पेंशन ऐसे व्यक्ति को संदेय होगी जो ऐसे बालक या बालकों का वास्तविक संरक्षक है।

(11) (i) सेवा कार्य ग्रहण के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र सेवा का सदस्य अपने कुटुम्ब के ब्यौरे अनुसूची में दिए गए प्ररूप में लेखा अधिकारी को देगा/यदि उसका कुटुम्ब नहीं है तो वह ब्यौरे कुटुम्ब प्राप्त करने के यथासंभव शीघ्र देगा।

(ii) यदि कुटुम्ब में कोई पश्चात्वर्ती परिवर्तन होता है जिसके अन्तर्गत किसी पुत्री का विवाह भी है, तो यह तथ्य लेखा अधिकारी को सूचित किया जायगा, जो प्ररूप में आवश्यक प्रविष्टि करेगा।

(iii) लेखा अधिकारी, प्ररूप प्राप्त होने पर, उसे संरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और प्ररूप की तथा सेवा के सदस्य से इस निमित्त प्राप्त सभी पत्राचार की पावती देगा।

(12) (i) इस नियम के फायदे सेवा के उस सदस्य के कुटुम्ब को प्रोद्भूत नहीं होंगे जो पदच्युत या सेवा से हटाया जाता है ;

परन्तु यह कि सेवा का सदस्य नियम 5 के उप नियम (i) के परन्तुक के अधीन अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहा था तो उसका कुटुम्ब इस नियम के अधीन कुटुम्ब पेंशन का पात्र होगा।

(ii) सेवा के किसी सदस्य के कुटुम्ब को इस नियम के अधीन कुटुम्ब पेंशन तब अनुज्ञेय नहीं होगी जब ऐसे कुटुम्ब को असाधारण पेंशन नियमों के (चाहे केन्द्रीय सरकार द्वारा चाहे राज्य सरकार द्वारा बनाया जाए) अधीन पेंशन मंजूर की जाती है।

(13) इस नियम के अधीन अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन ऐसे मापमानों से और ऐसी रीति से जो केन्द्रीय सरकार सेवा समूह "क" के अधिकारी के लिए समय समय पर विनिर्दिष्ट करे, तदर्थ वृद्धियों द्वारा बढ़ाई जायगी।

(14) कुटुम्ब की परिभाषा :

इस नियम के प्रयोजन के लिए "कुटुम्ब" के अन्तर्गत सेवा के किसी सदस्य के निम्नलिखित संबंधी हैं, अर्थात् :—

(i) यथास्थिति, पत्नी या पति, परन्तु यह कि विवाह सेवा के सदस्य की सेवानिवृत्ति के पूर्व हुआ था।

(ii) न्यायिक रूप से पृथककृत कोई पत्नी या पति जहां ऐसे पृथककरण जारकर्म के आधार पर मंजूर नहीं किया गया है, परन्तु यह कि विवाह सेवा के सदस्य की सेवानिवृत्ति के पूर्व हुआ था और उत्तरजीवी व्यक्ति जारकर्म का दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया गया था।

(iii) पुत्र जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और अविवाहिता पुत्रियां जिन्होंने 24 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हैं जिसके अन्तर्गत सेवानिवृत्ति से पूर्व विधि रूप से दत्तक लिया गया पुत्र और पुत्री है किन्तु सेवा निवृत्ति के पश्चात् जन्मा पुत्र या पुत्री इसके अन्तर्गत नहीं है।"

5. उक्त नियमों के नियम 28 के उपनियम (7) में अनुसूची "अ" शब्द और अक्षर के स्थान पर अनुसूची "ट" शब्द और अक्षर रखे जायेंगे।

6. उक्त नियमों, अनुसूची "अ" को अनुसूची "ट" के रूप में पुनर्नामित किया जायेगा और इस प्रकार पुनर्नामित अनुसूची "ट" के पूर्व निम्नलिखित अनुसूची "अ" के रूप में अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"अनुसूची अ"

[(नियम 22ख) (ii) (ii) देखें)]

सेवा के सदस्य का नाम :

पदाभिधान :

जन्म की तारीख :

नियुक्ति की तारीख :

मेरे कुटुम्ब के सदस्यों के ब्यौरे, जैसा वह को है।

क्रम सं०	कुटुम्ब के सदस्य का नाम	जन्म की तारीख	अधिकारी के साथ सम्बन्ध	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

मैं एतद्द्वारा वचनबद्ध करता हूं कि मैं उपरोक्त विशिष्टियां कोई वृद्धि या परिवर्तन राज्य सरकार/लेखा अधिकारी को अधिसूचित करके अद्यतन बनाए रखूंगा।

स्थान

सेवा के सदस्य के हस्ताक्षर

तारीख

+इस प्रयोजन के लिए "कुटुम्ब" से नियम 22ख के उपनियम (14) में यथापरिभाषित कुटुम्ब अभिप्रेत है।

7. इस प्रकार पुनर्नामित अनुसूची ट में "सेवा" "निवृत्ति प्रसुविधाओं का स्वरूप" शीर्षक के नीचे स्तम्भ 1 की मत (v) में "और 22—क" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर "22—क और 22—ख" अंक शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

[सं० 25011/7/82-अ०भा०से०(ii)]

वी०के० चेरियन, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी :

मूल नियम अधिसूचना सं०सा०का०नि० 728 तारीख 18-1-1958 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उसका संशोधन किया गया :—

क्रम सं०	सा०का०नि०सं०	तारीख
1	526	4-4-64
2.	527	3-4-65
3.	528	3-4-65
4.	529	3-4-65
5.	572	17-4-65
6.	215	12-2-66
7.	1915	17-2-66
8.	590	30-3-68
9.	687	6-7-74
10.	755	20-7-74
11.	946	7-9-74
12.	27 (अ)	24-1-75
13.	724	14-6-75
14.	2265	23-8-75
15.	2635	8-11-75
16.	2830	20-12-75
17.	128	33-1-76
18.	196	14-2-76
19.	316	6-3-76
20.	504	10-4-76
21.	758	5-6-76
22.	757	5-6-76
23.	1182	14-8-76
24.	1765	25-12-76
25.	579	7-5-77
26.	830	2-7-77
27.	831	2-7-77
28.	1598	26—11-77
29.	1700	24-12-77
30.	252	18-2-78
31.	253	18-2-78
32.	450	8—4-78
33.	924	22-7-78
34.	922	22-7-78
35.	214	20-1-79
36.	161	3-2-79
37.	373	3-2-79
38.	1151	15-9-79
39.	1292	22-10-79
40.	512	10-5-80
41.	545	17-5-80
42.	546	17-5-80
43.	978	27-9-80
44.	248	7-3-81
45.	276	14-3-81
46.	705	1-8-81

New Delhi, the 24th March, 1983

G.S.R. 293.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Amendment Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Services (Deauth-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 5A, in sub-rule (2), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—

"(b) terminal benefits equal to the commuted value of the balance amount of pension left after commuting one third of pension to be worked out with reference to the commutation tables obtaining on the date from which the commuted value becomes payable subject to the condition that the member of the Service surrenders his right of drawing the balance amount of pension".

3. In rule 22 of the said rules, sub-rule (10) shall be omitted.

4. For rule 22B of the said rules, the following rule shall be substituted namely :—

"22.B. (1) Application:—This rule shall apply to :—

(a) All the members of the Service appointed to the service on or after the 1st January, 1964.

(b) All those who were members of the Service on 31st December, 1963 and who opted or are deemed to have opted for this rule under the general or special orders issued by the Central Government.

(2) Subject to the provisions of rule 22C, the scale of family pension admissible shall be as follows :—

(i) Where the pay of the member of the Service is Rs. 1,200 and above, 12 per cent of pay subject to a minimum of Rs. 160 a month and a maximum of Rs. 250 a month.

(ii) where the pay of the member of the Service is Rs. 1,199 or below; 15 per cent of pay subject to a minimum of Rs. 100 a month and a maximum of Rs. 160 a month.

Explanation.—'pay' for the purpose of this sub-rule shall be the grade pay plus special pay, if any, which the member of the Service was drawing on the date of his death while in service or immediately before the retirement. If a member of the Service has been absent from duty on leave (including extraordinary leave) or has been under suspension, on the crucial date, 'pay' shall mean the pay which he draw immediately before proceeding on such leave or being placed under suspension.

(3) The period for which family pension is payable shall be as follows :—

(i) in the case of a widow or widower, unto the date of death or remarriage, whichever is earlier;

(ii) in the case of a son, until he attains the age of 21 years, and

(iii) in the case of an unmarried daughter, until she attains the age of twenty four years or until she gets married, whichever is earlier.

Provided that if the son or daughter of a member of the service is suffering from any disorder or disability of mind or is physically crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of 21 years in the case of a son and 24 years in the case of a daughter, the family pension shall be payable to such son or daughter for life subject to the following conditions, namely:—

(a) if such son or daughter is one among two or more children of the member of the service, the family pension shall be initially payable to the minor children in the order set out in clause (iii) of sub-rule (5) of this rule until the last minor child attains the age of 21 or 24 years, as the case may be, and thereafter the family pension shall be resumed in favour of the son or daughter suffering from disorder or disability of mind or who is physically crippled or disabled and shall be payable to him or her, for life;

(b) if there are more than one such son or daughter suffering from disorder or disability of mind or who are physically crippled or disabled, the family pension shall be paid in the following order, namely:—

(i) firstly to the son, and if there are more than one son the younger of them will get the family pension only after the life time of the elder;

(ii) secondly, to the daughter, and if there are more than one daughter the younger of them will get the family pension only after the lifetime of the elder ;

(c) the family pension shall be paid to such son or daughter through the guardian as if he or she were a minor;

(d) before allowing the family pension for life to any such son or daughter, the sanctioning authority shall satisfy that the handicap is of such a nature as to prevent him or her from earning his or her livelihood and the same shall be evidenced by a certificate obtained from a medical officer not below the rank of a Civil Surgeon setting out, as far as possible the exact mental or physical condition of the child;

(e) the person receiving the family pension as guardian of such son or daughter shall produce every three years a certificate from a medical officer not below the rank of a Civil Surgeon to the effect that he or she continues to suffer from disorder or disability of mind or continues to be physically crippled or disabled.

Note :—

1. Only that disability which manifests itself before the retirement or death of the member of the Service while in service shall be taken into account for the purpose of grant of family pension under this sub-rule.

2. A daughter shall become ineligible for family pension under the sub-rule from the date she gets married.

3. The family pension payable to such a son or daughter shall be stopped if he/she starts earning his/her livelihood.

4. In such cases it shall be the duty of the guardian to furnish a certificate to the Treasury or Bank, as the case may be, every month, that (i) he or she has not stated earning his/her livelihood (ii) in case of daughter, that she has not yet married.

(4) (a) (i) Where the family pension is payable to more widows than one, the family pension shall be paid to the widows in equal shares.
(ii) On the death of a widow, her share of the family pension shall become payable to her eligible child :

Provided that if the widow is not survived by any child, her share of the family pension shall cease to be payable.

(b) Where the deceased member of the service or pensioner is survived by a widow but has left behind eligible child or children from another wife who is not alive, the eligible child or children shall

be entitled to the share of family pension which the mother would have received if she had been alive at the time of the death of the member or the service or pensioner.

(5) (i) Except as provided in sub-rule (4), the family pension shall not be payable to more than one member of the family at the same time.

(ii) If a deceased member of the Service or pensioner leaves behind a widow or widower, the family pension shall become payable to the widow or widower, failing which to the eligible child.

(iii) If sons and unmarried daughters are alive, unmarried daughters shall not be eligible for family pension unless the sons attain the age of 21 years and hereby became in eligible for the grant of family pension.

(6) Where a deceased member of the Service or pensioner leaves behind more children than one, the eldest eligible child shall be entitled to the family pension for the period mentioned in clause (ii) or clause (iii) of sub-rule (3) as the case may be, and after the expiry of that period the next child shall became eligible for the grant of family pension.

(7) Where family pension is granted under this rule to a minor, it shall be payable to the guardian on behalf of the minor.

(8) In case both wife and husband are members of the service and are governed by the provisions of this rule and one of them dies while in service or after retirement, the family pension in respect of the deceased shall become payable to the surviving husband or wife and in the event of the death of the husband and wife, the surviving child or children shall be granted the two family pensions in respect of the deceased parents subject to the limits specified below, namely :—

(a) (i) if the surviving child or children is or are eligible to draw two family pensions at the rate mentioned in Rule 22-C, the amount of both the pensions shall be limited to five hundred rupees per mensom;

(ii) if one of the family pensions ceased to be payable at the rate mentioned in Rule 22-C, and in lieu thereof the pension at the rate mentioned in sub-rule (2) of this rule becomes payable the amount of both the pensions shall also be limited to five hundred rupees per mensem;

(b) if both the family pensions are payable at the rates mentioned in sub-rule (2) of this rule, the amount of two pensions shall be limited to two hundred and fifty rupees per mensem.

(c) Where a member of the serving dies leaving behind a judicially separated husband or widow, as the case may be, and no child or children, the family pension in respect of the deceased shall be payable to the person surviving :

Provided that where in a case judical separation is granted on the ground of adultary and the death of the member of the service takes place during the period of such judicial separation, the family pension shall not be payable to the person surviving if such person surviving was held guilty of committing adultery.

(10) (a) Where a member of the Service dies leaving behind a judicially separated husband or widow, as the case may be, with a child or children, the family pension payable in respect of the deceased shall be payable to the surviving persons provided he or she is the guardian of such child or children.

(b) Where the surviving person has ceased to be the guardian of such child or children, such family pension shall be payable to the person who is the actual guardian of such child or children.

(11) (i) As soon as possible after joining service a member of the Service shall give details of his family in the form given in Schedule I to the Accounts Officer. If he has no family, he shall furnish the details as soon as he acquires a family.

(ii) if there is a subsequent change in the family, including the marriage of a daughter, the fact shall be intimated to the Account Officer, who shall make necessary entry in the form.

(iii) The Accounts Officer shall, on receipt of the form keep it in safe custody and acknowledge receipt of the form and all further communications received from the member of the Service in this behalf.

(12) (i) The benefits of this rule shall not accrue to the family of a member of the Service who is dismissed or removed from service:

Provided that if such a member of the service was in receipt of compassionate allowance under proviso to sub-rule (1) of rule 5, his family shall be eligible to family pension under this rule.

(ii) Family pension under this rule shall not be admissible to the family of a member of the Service when the family pension under the Extraordinary Pension Rules (whether made by the Central Government or the State Government) is granted to such family.

(13) The family pension admissible under this rule shall be enhanced by ad hoc increases at such scales and in such manner as the Central Government may from time to time, specify for officers of Central Services Group 'A'.

(14) Definition of "Family' :

'Family' for the purpose of this rule includes the following relatives of a member of the Services, namely :—

(i) wife or husband as the case may be, provided the marriage took place before the retirement of the member of the service.

(ii) a judicially separated wife or husband such separation not being granted on the ground of adultery, provided the marriage took place before retirement of the member of the Service and the person surviving was not held guilty of committing adultery.

(iii) son who has not attained the age of 21 years and unmarried daughters who has not attained the age of 24 years, including son and daughter adopted legally before retirement, but shall not include son or daughter born after retirement."

5. In sub-rule (7) of rule 28 of the said rules, for word and letter "Schedule J", the word and letter "Schedule K" shall be substituted.

6. In the said rule , Schedule J shall be renamed a "Schedule K" and before Schedule K so re-named, the following Schedule shall be inserted as Schedule J, namely :—

"SCHEDULE J

[See rule 22B (11) (i)]

DETAILS OF FAMILY

Name of the member of the Service:

Designation:

Date of birth:

Date of appointment:

Details of the members of my family* as on

Sl. No.	Name of the member of family*	Date of birth	Relation-ship with the officer	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

I hereby undertake to keep the above particulars up-to-date by notifying to the State Government/ Accounts Officer any addition or alteration.

Place:

Signature of the member of Service

Date:

*Family for this purpose means family as defined in sub-rule (14) of rule 22B."

7. In Schedule K as so re-named, under the heading "Nature of Retirement Benefits", in column 1, in item (v), for the word, figures and letter, "and 22-A", the figures, word and letters, "22A" and "22-B" shall be substituted.

[No. 25011/7/82/AIS(II)]
V.K. CHERIAN, Desk Officer

NOTE

The principal rules were published *vide* notification No. GSR 728 dated 18-8-1958 and subsequently amended vide the following notifications:—

S. No.	GSR No.	Date
1.	526	4-4-64
2.	527	3-4-65
3.	528	3-4-65
4.	529	3-4-65
5.	572	17-4-65
6.	215	12-2-66
7.	1915	17-2-66
8.	590	30-3-68
9.	687	6-7-74
10.	755	20-7-74
11.	946	7-9-74
12.	27E	24-1-75
13.	724	14-6-75
14.	2265	23-8-75
15.	2635	8-11-75
16.	2838	20-12-75
17.	128	31-1-76
18.	196	14-2-76
19.	316	6-3-76
20.	504	10-4-76
21.	758	5-6-76
22.	757	5-6-76
23.	1182	14-8-76
24.	1765	25-12-76
25.	579	7-5-77
26.	830	2-7-77
27.	831	2-7-77
28.	1598	26-11-77
29.	1700	24-12-77
30.	252	18-2-78
31.	253	18-2-78
32.	450	8-4-78
33.	924	22-7-78
34.	922	22-7-78
35.	214	20-1-79
36.	161	3-2-79
37.	373	3-2-79
38.	1151	15-9-79
39.	1292	22-10-79
40.	512	10-5-80
41.	545	17-5-80
42.	546	17-5-80
43.	978	27-9-80
44.	248	7-3-81
45.	276	14-3-81
46.	705	1-8-81

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 28 मार्च 1983

सा० का० नि० 294.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार और पदेन जनगणना आयुक्त के कार्यालय में भारत के सहायक महारजिस्ट्रार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत के महारजिस्ट्रार और पदेन जनगणना आयुक्त का कार्यालय (भारत के सहायक महारजिस्ट्रार), भर्ती नियम, 1983 होगा ।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

गृह मंत्रालय भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में भारत के सहायक महारजिस्ट्रार के भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
				5	6	7	8
भारत के सहायक महारजिस्ट्रार	1* (1983) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन हो सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप "क" राजपत्रित अनुसचिवीय	1500-60-1800	लागू नहीं	नहीं	45 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से उनसे भिन्न जो अण्डमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त अनुसंधान या गणित/अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) में मास्टर की उपाधि या समतुल्य (ii) जनगणना/जन्म-मृत्यु सांख्यिकी और जन-सांख्यिकी आंकड़ों के विश्लेषण के क्षेत्र में योजना और सैम्पल सर्वेक्षण करने का पर्यवेक्षी क्षमता में 10 वर्ष का अनुभव। टिप्पण : 1—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती

1	2	3	4	5	9	7	8
							टिप्पण : 2—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती है (हैं) जबकि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि इनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे वांछनीय : (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जनसांख्यिकी में डिप्लोमा (ii) जनसांख्यिक आंकड़े एकत्र करने और उनके संसाधान के लिए सैम्पलिंग प्रणाली का ज्ञान (iii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सांख्यिकी में 2 वर्ष का उच्च (एडवान्स) प्रशिक्षण

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा/भर्ती की जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) 1 संयुक्त सचिव (प्रशासन) गृह मंत्रालय —सदस्य 2 भारत के महारजिस्ट्रार —सदस्य टिप्पणी पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ	प्रत्येक मामले में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से चयन किया जायेगा ।

13

नार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु यदि आयोग इनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

[सं० 4/11/81-प्रशा० 1]

पी० पद्मनाभ, भारत के महारजिस्ट्रार और पदेन संयुक्त सचिव

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 28th March, 1983

G.S.R. 294.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Registrar General, India in the office of the Registrar General, India and ex-officio Census Commissioner for India, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the office of the Registrar General, India and ex-officio Census Commissioner for India (Assistant Registrar General, India) Recruitment Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, Classification and scale of pay.—The number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in the columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into, or contracted, a marriage with a person having a spouse living,

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law, applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Schedule Tribes and other special categories of persons in accordance with the Orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Assistant Registrar General, India in the office of the Registrar General, India, Ministry of Home Affairs

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
Assistant Registrar General, India	*1 (1983) *Subject to variation dependent	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-	Rs. 1500-60-1800.	Not applicable	No	Not exceeding 45 years (Relaxable for Government servants by 5 years in accordance with the instruction	Essential : (i) Master's degree in Statistics/Operation Research or Mathematics Economics (with Statistics) of a recognised Uni-

		7	8
on work-Ministerial load.		issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	versity or equivalent, (ii) 10 years' experience in a supervising capacity involving planning and conduct of sample surveys in the field of census/vital statistics and analysis of demographic data. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (i) Diploma in Demography from recognised Institution (ii) Familiarity with sampling method in collection and processing of demographic data. (iii) Two years' advance training in Statistics from a recognised Institution.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/tansfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :— 1. Joint Secretary (Admn.) Ministry of Home Affairs—Member. 2. Registrar General, India—Member. Note : The proceeding of the Departmental	Selection shall be made in consultation with the Union Public Service Commission on each occasion.

13

Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commision shall be held.

[No. 4/11/81-Ad. I]

P. PADMANABHA, Registrar General, India and ex-officio Jt. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

Office of the Development Commissioner
(Small Scale Industries)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 25th March, 1983

G.S.R. 295.—In the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) of dated 9th October, 1982, G.S.R. No. 843 of dated 7th September, 1982,—

In Col. 11 of the Schedule—

For
"Rs. 300-560 with five years

Read
"Rs. 330-560 with five years"

[F. No. A-12018/3/81-A(NG)]

H. L. JUNEJA, Dy. Director (Admn.)

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1983

सा०का०नि० 296.—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज रियायत नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 में,—

(1) नियम 14 में, उपनियम (2) में, खंड (VII) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(VIII) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अधीन क्षेत्र से उद्भूत होने वाले विवादों से सम्बद्ध सिविल वादों या पिटीशनों को फाइल करना।" ;

(2) नियम 27 में, उपनियम (2) में, खंड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(त) पट्टे के अधीन क्षेत्र से उद्भूत होने वाले विवादों से सम्बद्ध सिविल वादों या पिटीशनों को फाइल करना।"

3. अनुसूची में,—

(क) प्ररूप च में, भाग V में, खंड (5) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(6) यह अनुज्ञप्ति विलेख,——————(राज्य का नाम) राज्य की राजधानी में और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निष्पादित किया जाता है तथा अनुज्ञप्तिधारी और राज्य सरकार द्वारा यह करार पाया जाता है कि पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अधीन क्षेत्र, अनुज्ञप्ति विलेख की शर्तों के सम्बन्ध में और अनुअनुज्ञप्तिधारी तथा राज्य सरकार के संबंध की बाबत सभी विषयों के संबंध में किसी विवाद की दशा में वाद या पिटीशन .... (नगर का नाम) के सिविल न्यायालयों में फाइल किए जाएंगे तथा यह स्पष्ट रूप से करार किया जाता है कि कोई भी पक्षकार ऊपर नामित न्यायालयों से किसी स्थान पर कोई वाद या अपील फाइल नहीं करेगा या कोई कारवाई नहीं करेगा।"

(ख) प्ररूप ट में, भाग 9 में, खंड 8 के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(8क) पट्टा——————(राज्य का नाम) राज्य की राजधानी में और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के उपबन्ध के अधीन रहते हुए निष्पादित किया जाता है और पट्टेदार तथा पट्टाकर्ता द्वारा यह करार पाया जाता है कि पट्टे के अधीन आने वाले क्षेत्र पट्टे की शर्तों, पट्टे के अधीन वसूलीयोग्य शोध्यों और पट्टेदार व पट्टाकर्ता

के सम्बन्ध की बाबत सभी विषयों के सम्बन्ध में किसी विषय की दशा में वाद (या अपील)—————— (नगर का नाम) के सिविल न्यायालयों में फाइल किए जाएंगे और यह स्पष्ट रूप से करार किया जाता है कि कोई भी पक्षकार ऊपर नामित न्यायालयों से भिन्न किसी स्थान पर कोई वाद या अपील फाइल नहीं करेगा या कोई कार्रवाई नहीं करेगा।"

[फा०सं० 6(9)/78-एम VI]

ए० के० वेंकटसुब्रमण्यम, निदेशक

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 18th March, 1983

G.S.R. 296.—In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960,—

(1) In rule 14, in sub-rule (2) after clause (vii) the following clause shall be added, namely :—

"(viii) filing of civil suits or petitions relating to disputes arising out of the area under prospecting licence,";

(2) In rule 27, in sub-rule (2), after clause (O) the following clause shall be added, namely :—

"(P) filing of civil suits or petitions relating to disputes arising out of the area under lease."

(3) In schedule I,—

(a) In Form F, in part V, after clause (5) the following clause shall be inserted, namely :—

"(6) The licence deed is executed at the Capital of the State of ——————(Name of the State) and subject to the provision of Article 226 of the Constitution of India it is hereby agreed upon by the licences and the State Government that in the event of any dispute in relation to the are a under prospecting licence condition of the licence deed and in respect of all matters touching the relationship of the licencee and the State Government, suits or petitions shall be filed in civil courts at——————(name of the city) and it is hereby expressly agreed that neither party shall file a suit or appeal or bring any actions at any place other that the Courts named above).

(b) In Form K, in part IX, after clause 8 the following clause shall be added, namely :—

"(8A) The lease is executed at—————— the capital town of the State of —————— ——————(name of the State) and subject to the Provision of Article 226 of the Constitution of India it is hereby agreed upon by the lease and the leasor that in the event of any dispute in relation to the area under lease, condition of lease, the dues realisable under the lease and in respect of all matters touching the relationship of the leasee and the lessor, the suits (or appeals) shall be filed in the civil courts at ——————(name of the city) and it is hereby expressly agreed that neither party shall be competent to file a suit or bring any action or file any petition at any place other than the courts named above."

[F. No. 6(9)/78-MVI]

A. K. VENKATA SUBRAMANIAN, Director.

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1983

सा० का० नि० 297.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला, फरीदाबाद (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1977 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं : अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला, फरीदाबाद (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला, फरीदाबाद (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1977 की अनुसूची में क्रम सं० 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

अनुसूची

पद संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
6	प्रयोगशाला परिचर	चार* (*कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा अराजपत्रित, समूह "घ"	रु० 200-3-206-4-234-द०रो०-4-250	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	अनिवार्य : (1) मिडिल स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण (2) प्रयोगशाला कार्य का 2 वर्ष का अनुभव

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधे भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1. निदेशक, केन्द्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला, फरीदाबाद —अध्यक्ष 2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पी० पी० क्यू० एण्ड एस० फरीदाबाद—सदस्य 3. अवर सचिव (उर्वरक-2)—सदस्य 4. अवर सचिव (उर्वरक-3)—सदस्य	लागू नहीं होता

[सं० 10-3/82-उर्वरक आयोजना]

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

New Delhi, the 11th March, 1983

G.S.R. 297:--In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Fertiliser Control Laboratory, Faridabad (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1977, namely;

1. (1) These rules may be called the Central Fertiliser Control Laboratory, Faridabad (Group C and Group D posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. In the Schedule to the Central Fertilizer Control Laboratory Faridabad (Group C and Group D posts) Recruitment Rules, 1977, after serial No. 5 and entries relating thereto, the following shall be inserted:—

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Laboratory Attendent	*Four *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'D' (Non-Gazetted)	Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250-	Not applicable	18-25 Years (Relaxable upto 35 Yrs. in case of the Govt. servants).	Essential 1. Middle school standard pass 2. Experience of laboratory work for 2 years.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 Yrs.	By Direct Recruitment	Not applicable	1. Director, Central Fertiliser Control Laboratory Faridabad —Chairman. 2. Chief Administrative Officer, Plant Protection Quarantine & Storage, Faridabad —Member 3. Under Secretary (Fertiliser II), Ministry of Agriculture, New Delhi—Member 4. Under Secretary (Fertiliser III) Ministry of Agriculture, New Delhi—Member	Not applicable

[No. 10-3/82-Fert. Plg.]

सा०का०नि० 298.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला फरीदाबाद (समूह पद) भर्ती नियम, 1979 का और संशोधन करने के निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला फरीदाबाद समूह "ग" पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला, फरीदाबाद (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1979 की अनुसूची में प्रयोगशाला परिचार के पद से सम्बन्धित क्रम संख्यांक 4 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[सं० 10-3/82-उर्व० आयो०]

छत्रसाल सिंह, निदेशक (उर्वरक-2)

G.S.R. 298.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Fertiliser Control Laboratory Faridabad (Group C Posts) Recruitment Rules, 1979, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Fertiliser Control Laboratory, Faridabad (Group C posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. In the Central Fertiliser Control Laboratory, Faridabad (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1979, in the Schedule, Serial No. 4 and entries thereto relating to the post of 'Laboratory Attendant' shall be omitted.

[No. 10-3/82-Fert. Plg.]
CHHATTRA SAL SINGH, Director (FERT.II)

संस्कृति विभाग

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1983

सा.का.नि. 299.—भारत के दिनांक 23 मई, 1981 राजपत्र के जी. एस. आर. सं. 501 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना सं. 3-35/78-सी.ए.आई. (5)/सी.-एच. 5 में निम्नलिखित परिवर्तन करने की कृपा करें :—

(1) पृष्ठ 1211, कालम-11, मद 2 में दूसरी पंक्ति के बाद "में 5 वर्ष की नियमित सेवा" जोड़ें ।

[सं. फ. 3-35/78-सी. एच. 5/सी. ए. आई (5)]
टी. एन. बाजपेयी, अवर सचिव

DEPARTMENT OF CULTURE

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th March, 1983

G.S.R. 299.—The following changes may kindly be made in this Department's Notification No. 3-35/78-CAI(5)/CH-5 published in the Gazette of India vide G.S.R. No. 501 dated the 23rd May, 1981 :—

(i) On page 1211, in column-11, item 2, after second line, and "5 years regular service in".

(ii) On page 1219, column-7, in third line of (i), read 'antiquities' instead 'artiquities'.

(iii) On page 1219, column-7, in Note I, in second line read "discretion' instead 'discrtation'.

[No. F. 3-35/78-CH.5/CAI(5)]
T. N. BAJPAI, Under Secy.

पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1983

सा०का०नि० 300.—[वर्गीकरण (नियंत्रण और अपील)] नियम, 1965 के नियम 12 के उप नियम (2) और नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्रालय के आदेश सं० सी० 11013/1/79-प्रशासन-1 (पर्यटन) तारीख 12 सितम्बर, 1979 का निम्नलिखित आंशिक उपांतरण करते हैं, अर्थात् :—

(क) अनुसूची में मद सं० (1) ए (ii) के पश्चात निम्नलिखित मदें जोड़ी जाएंगी, अर्थात :—

"पर्यटक कार्यालय गोहाटी/शिलांग/ईटानगर/इम्फाल में सूचना सहायक के पद"	क्षेत्रीय निदेशक दिल्ली	क्षेत्रीय निदेशक दिल्ली	सभी/महानिदेशक (पर्यटन)

(ख) मद (1) (ब) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"(ब) उच्च श्रेणी लिपिक/कनिष्ठ आशुलिपिक/निम्न श्रेणी लिपिक/टेलीफोन आपरेटर/स्टाफ कार ड्राईवर का पद"	निदेशक पर्यटक कार्यालय गोहाटी	निदेशक भारत सरकार पर्यटक कार्यालय गोहाटी	सभी/क्षेत्रीय निदेशक नई दिल्ली

(ग) भाग III में मद (2) (घ) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

(ङ) पर्यटक कार्यालय गोहाटी/शिलांग/ईटानगर/इम्फाल के सभी पद	निदेशक भारत सरकार पर्यटक कार्यालय गोहाटी	निदेशक भारत सरकार पर्यटक कार्यालय गोहाटी	सभी/क्षेत्रीय निदेशक नई दिल्ली

[सं० ए-14012/1/79-प्रशा०-1]
शादी लाल चोपड़ा, निदेशक (पर्यटन प्रशासन)

नोट :—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में अधिसूचना सं० सी-11012/1/72-टी०ए० III, ता० 4-6-1973 और सी-11012/1/79, ता० 12-9-1979 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF TOURISM

New Delhi, 14th February, 1983

G.S.R. 300.—In exercise of the powers conferred by Sub-Rule (2) of Rule 12 and Sub-Rule (1) of Rule 24 of the Central Civil Services [Classification (Control) and Appeal)] Rules, 1965, the President hereby makes the following in partial modification of the Govt. of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation Order No. C-11012/1/79-Admn. I (Tourism) dated the 12th September, 1979, namely:—

(A) In the Schedule after item (1) and (ii), the following items shall be added, namely:—

"Posts of Information Assistant in Tourist Offices Gauhati/Shillong/Itanagar/Imphal".	Regional Director Delhi.	Regional Director Delhi.	All/Directors General (Tourism)

(B) After item (1) (d) the following item shall be added, namely :—

"(e) Post of Upper Division Clerk/Junior Stenographer/ Lower Division Clerk/Telephone Operator/Staff Car Driver"	Director Tourist Office Gauhati	Director Govt of India Tourist Office Gauhati	All/Regional Director New Delhi

(C) In part III, after item (2) (d), the following item shall be added, namely:—

"(e) All posts in Tourist Office Gauhati/Shillong/Itanagar/ Imphal	Director Govt. of India Tourist Office Gauhati.	Director Govt. of India Tourist Office Gauhati	All/Regional Director, New Delhi

[No. A-14012/1/79-Admn.-1]
S. L. CHOPRA, Director (TA)

Note:--Principal rules published vide Notification No. C-11012(1)/72-T.A. III dated 4.6.1973 and C-11012(1)/79-Admn. I dated 12.9.79 in the Gazette of India, Part II Section 3, Sub Section (ii).

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1983

सा०का०नि० 301 —केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तम्बाकू श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1937 में और संशोधन करना चाहती है जैसा कि उक्त धारा में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गयी है 45 दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी ।

संशोधनों का प्रारूप

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम तम्बाकू श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 1983 है;

2. तम्बाकू श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1937 में,

(1) नियम 3 में,—

(क) उपनियम (1) में,

"तम्बाकू में आरम्भ होने वाले और पत्ती के उपखंड+या डंडियां भी हैं किन्तु उनका मिश्रण नहीं और वे चाहे परिष्कृत (यांत्रिक रूप से पुनः शुष्कित) हो या नहीं" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: —

तम्बाकू में निम्नलिखित होंगे : —

(क) पूर्ण पत्ती; या

(ख) उपखंड से ऐसी पत्तियां अभिप्रेत हैं जिनमें मध्यशिरा का निचला भाग पूर्ण पत्ती के कम से कम 3/5 परिमाण तक या लम्बाई के 60 प्रतिशत तक, निकाल दिया गया है; या

(ग) डंडियां—(पत्ती के मूल से पत्ते के लम्बाई के 3/5 परिमाण तक या 60 प्रतिशत तक डंठल निकाले बिना पत्तियां का मध्यशिरा); या

(घ) अग्ररंजित पत्ती—(से डंठल वाले किनारे से पूर्ण पत्ती की लम्बाई का 75 से 85 प्रतिशत अभिप्रेत है); या

(ङ) पत्ती के किनारे—(पत्ती के अग्र या शिखाग्र से, जो कि कटा या कतरा हुआ हो, पूर्ण पत्ती की लम्बाई का 15 से 25 प्रतिशत);

किन्तु इनका मिश्रण नहीं और वे चाहे अनुकूलित (यांत्रिक रूप से पुनः शुष्कित) हो या नहीं ।

"अग्ररंजित पत्ती" की दशा में, यांत्रिक कतरन में आनुषंगिक त्रुटियों को अनुज्ञात करने के लिए 5 प्रतिशत तक पूर्ण पत्ती की उपस्थिति अनुज्ञात की जाएगी ।

(ख) पाद टिप्पण में चिन्ह × के पश्चात् "+" और × × से संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।"

(2) अनुसूची 2 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् —

अनुसूची 2—ख

(नियम 2 और 3 देखिए)

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों की हल्की मृदा में उगाई गई अविनिर्मित धूमनाल संसाधित वर्जिनिया तम्बाकू की क्वालिटी का श्रेणीनाम और परिभाषा

(पादप स्थिति)

पादप स्थिति	श्रेणी	रंग	स्पाट कलुष/क्षति/अपशिष्ट का प्रतिशत	परिपक्वता/दाना रचना	मुख्य भाग	पत्ती का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
प्राइमिंग	पी 1	चमकीला हल्का पीला या संतरी	15-20%	अधिक पका और दानेदार	बहुत पतला	सेलुलोज जिससे पता चलता है कि काफी मात्रा में क्षति हुई है।
	पी 2	हल्का पीला या संतरी	20-30%	--यथोक्त--	--यथोक्त--	--यथोक्त--
	पी 3	--यथोक्त--	30-55%	--यथोक्त--	--यथोक्त--	--यथोक्त--
	पी 4	भूरा (गहरा)	80% तक	--यथोक्त--	--यथोक्त--	--यथोक्त--
	पी 5	भूरा	80% से अधिक	यथोक्त--	--यथोक्त--	--यथोक्त--
लग और कर्तक	एक्स 1	चमकदार हल्का पीला या सन्तरी	20% तक	पका और अधिक दानेदार	पतले से मध्यम	चौड़ी पत्ती और अकोण सिरों से काफी फैली हुई लचीली उत्तम बनावट और प्राकृतिक चमक
	एक्स 2	हल्का पीला या सन्तरी	20-30%	--यथोक्त--	--यथोक्त--	--यथोक्त--
	एक्स 3	--यथोक्त--	30-55%	--यथोक्त--	--यथोक्त--	--यथोक्त--
	एक्स 4	भूरा	80% तक	--यथोक्त--	--यथोक्त--	--यथोक्त--
	एक्स 5	भूरा	80% से अधिक	--यथोक्त--	--यथोक्त--	--यथोक्त--
पत्ती	एल 1	चमकदार सन्तरी या हल्का पीला	20% तक	पका और मध्यम दानेदार	मध्यम से भारी	सामान्यतः लम्बी किन्तु कर्तक जैसी चौड़ी नहीं गोंदी किन्तु अधिक लचीली नहीं जिसमें साधारणतया मध्यशिरा और अन्य शिराएं उभरी हुई हैं।
	एल 2	सन्तरी या हल्का पीला	20-30%	--यथोक्त--	--यथोक्त--	--यथोक्त--
	एल 3	हल्का पीला या सन्तरी	30-55%	--यथोक्त--	--यथोक्त--	--यथोक्त--
	एल 4	भूरा	80% तक	--यथोक्त--	--यथोक्त--	--यथोक्त--
	एल 5	भूरा या रक्तसम भूरा	80% से अधिक	--यथोक्त--	--यथोक्त--	--यथोक्त--
टिप	टी 2	हल्का पीला या सन्तरी	30% तक	अधपके मध्यम से संकुल	मध्यम से भारी	संकीर्ण पत्ती वाले नोकदार सिरे तेज गहरे रंग वाली खुरदरी बनावट।
	टी 3	--यथोक्त--	30-55%	--यथोक्त--	--यथोक्त--	--यथोक्त--
	टी 4	भूरा	80% तक	--यथोक्त--	--यथोक्त--	--यथोक्त--
	टी 5	भूरा या रक्तसम भूरा	80% से अधिक	--यथोक्त--	--यथोक्त--	--यथोक्त--
प्राइमिंग लग और कर्तक	बी जी (बाटम ग्रीन)	चमकदार पीला या हल्का पीला या सन्तरी से हल्का भूरा पीला या हरी पुट सहित सन्तरी या हल्का पीला	25% तक	पका, दानेदार बढ़िया से मध्यम	हल्के से मध्यम	---
पत्ती और टिप	टी जी (टाप ग्रीन)	गहरा पीला या हल्का पीला या हरी पुट सहित हल्का भूरा पीला	--यथोक्त--	पके से अधपका कम से संकुल दानेदार, मध्यम से अपरिष्कृत	मध्यम से भारी	---

1	2	3	4	5	6	7
प्राइमिंग लग और कर्तक	बी०एम०जी० (बाटम मीडियम ग्रीन)	चमकीला पीला या हल्का पीला या सन्तरी से हल्का भूरा पीला या उस पर हरी रंग की झलक सहित सन्तरी हल्का पीला	50% तक	पका, दानेदार घटिया से मध्यम	हल्के से मध्यम	
पत्ती और टिप	टी०एम०जी० (टाप मीडियम ग्रीन)	गहरे हल्के पीले या सन्तरी से हल्का भूरा सन्तरी या उस पर हरे रंग की झलक सहित पीला।	--यथोक्त--	पके से अधपका कम दानेदार से घना दानेदार मध्यम से खुरदरा।	मध्यम से भारी	

(3) अनुसूची 2 में, श्रेणी अभिधान "बी एस", "2" और उन के संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अस्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्

श्रेणी अभिधान	रंग	बनावट	कलुष	विशेष लक्षण
1	2	3	4	5
डंडियां+	--	--	--	डंडियों में पत्तियों की मध्यशिराएं होंगी जो, तम्बाकू की सूर्य संसाधित वर्जीनिया किस्मों में स्टेमन की प्रक्रिया में पत्ती की लम्बाई को कम से कम 3/5 परिमाण तक या 60 प्रतिशत तक निकाल दी गई हो।

(4) अनुसूची 2 में, पाद टिप्पण +(1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् --

इस श्रेणी के अधीन पैकिंग की अनुज्ञा वांछित उपज की क्वालिटी और मात्रा उपदर्शित करने वाले निश्चित आदेश के अधीन दी जाएगी बशर्ते कि इसी क्वालिटियां और मात्राएं नियमित के योग्य ठीक समझी गई हैं।

[सं० 10-4/78-ए० एम०]

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 17th March, 1983

G.S.R. 301.—The following draft rules further to amend the Tobacco Grading and Marking Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) are hereby published as required by the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of 45 days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

DRAFT AMENDMENTS

1. These rules may be called the Tobacco Grading and Marking (Amendment) Rules, 1983.

2. In the Tobacco Grading and Marking Rules, 1937, (1) in rule 3 :—

(a) in sub-rule (1), for the portion beginning with the words, "The tobacco may consist of leaf" and ending with the words, "or not" the following shall be substituted, namely :—

The Tobacco may consist of,—

(a) Whole leaf; or

(b) Strips—(means tobacco leaves in which the lower part of mid rib to the extent of at least three-fifths or 60 per cent of the length of whole leaf shall have been removed); or

(c) Stems—(mid rib of leaves without butts removed to the extent of three-fifths or 60 per cent of the length of leaf from the base of the leaf); or

(d) Tipped Leaf—(means 75 to 85 per cent of the length of whole leaf from the butt-end); or

(e) Leaf Tips—(means 15 to 25 per cent of the length of whole leaf from the tip or apex of the leaf which is either clipped or cut);

but not mixtures thereof and may be reconditioned (mechanically redried), or not.

To allow for incidental erors in mechanical cuttings, presence of whole leaf to the extent of 5 per cent, shall be allowed in case of "Tipped Leaf".

(b) in the foot note after the mark *, the entries relating to '+' and '**' shall be deleted.

(2) After Schedule II, the following Schedule shall be inserted, namely :—

SCHEDULE II-B

(See rules 2 and 3)

Grade designation and definition of quality of unmanufactured fluecured Virginia Tobacco grown in the light soils of Andhra Pradesh and Karnataka States (Plant Position)

Plant Position	Grade	Colour	Spot Blemish/ injury/Waste in term of percentage	Maturity/ grain/textrare	Body	Description of leaf
1	2	3	4	5	4	7
PRIMINGS	P 1	Bright-Lemon or orange	15 to 20%	More ripe and grainy	Very thin	Being sand leaf shows a material amount of injury.
	P 2	Lemon or Orange	20 to 30%	More ripe and grainy	Very thin	Being sand leaf shows a material amount of injury.
	P 3	Lemon or Orange	30 to 55%	More ripe and grainy	Very thin	Being asand leaf shows a material amount of injury.
	P 4	Brownish (rich)	Upto 80%	More ripe and grainy	Very thin	Being sand leaf shows a material amount of injury.
	P 5	Brownish	More than 80%	More ripe and grainy	Very thin	Being sand leaf shows a material amount of injury.
LUGS AND CUTTERS	XI	Bright-Lemon or Orange.	Upto 20%	Ripe and very grainy	Thin to Medium	Broader leaf with wider spread spread from butt ends-Elasticity Fine texture with natural lusture.
	X 2	Lemon or Orange	20 to 30%	Ripe and very grainy	Thin to Medium	Broader leaf with wider spread from butt ends-Elasticity-fine texture with natural lusture
	X 3	Lemon or orange	30 to 55%	Ripe and very grainy	Thin to Medium	Broader leaf with wider spread from butt ends-Elasticity-fine texture with natural lusture.
	X 4	Brownish	Upto 80%	Ripe and very grainy	Thin to Medium	Broader leaf with wider spread from the butt-ends-Elasticity fine texture with natural lusture.
	X 5	Brownish	More than 80%	Ripe and very grainy	Thin to Medium	Broader leaf with wider sp read from the but ends-Elasticity- fine texture with natural lusture.
LEAF	L 1	Bright Orange or Lemon.	Up to 20%	Ripe and medium grainy.	Medium to heavy bodies	Usually long, but not as broad as cutters-Gummy but not very elastic. Generally having pronounced mid-rib and veins.
	L 2	Orange or Lemon.	20 to 30%	Ripe and medium grainy.	Medium to heavy-bodied.	Usually long, but not as broad as cutters-Gummy but not very elastic. Generally having prounced mid-rib and veins.
	L 3	Lemon or orange	30 to 55%	Ripe and medium grainy.	Medium to heavy bodied.	Usually long, but not as broad as cutters-Gummy but not very elastic. Generally having pronounced mid-rib and veins.
	L 4	Brownish	Up to 80%	Ripe and medium grainy.	Medium to heavy bodied.	Usually long, but not as broad as cutters-Gummy but not very elastic. Generally having pronounced mid-ribs and veins.

1	2	3	4	5	6	7
	L 5	Brownish or Mahagony	More than 80%	Ripe and medium grainy.	Medium to heavy bodied.	Usually long, but not as broad as cutters-Gummy but not very elastic. Generally having pronounced mid-rib and veins.
Tips	T 2	Lemon or orange	Upto 30%	Under ripe medium to close grained.	Medium to heavy bodied.	Pointed tips with narrow blade. Coarse texture having deep colour intensity.
	T 3	Lemon or orange	30 to 55%	Under ripe medium to close grained	Medium to heavy bodied	Pointed tips with narrow blade. Coarse texture having deep colour intensity.
	T 4	Brownish	Upt o 80%	Under ripe medium to close grained .	Medium to heavy bodied.	Pointed tips with narrow blade. Coarse texture having deep colour intensity.
	T 5	Brownish or Mahagony	More than 80%	Under ripe medium to close grained	Medium to heavy bodied.	Pointed tips with narrow blade. Coarse texture having deep colour intensity.
PRIMINGS, LUGS AND CUTTERS.	B.G. (Bottom green)	Bright yellow or lemon or orange to light Brownish yellor or orange or lemon with greenish tinge on.	Upto 25%	Ripe, Grainy fins to medium.	Light to medium.	NIL
LEAF AND TIPS	T.G. (Top green)	Deep yellow or lemon or orange to light brownish yellow with greenish tinge on.	Up to 25%	Ripe to under ripe, less grainy, medium to coarse.	Medium to heavy.	NIL
PRIMINGS, LUGS AND CUTTERS.	B.M.G. (Bottom medium green)	Bright yellow or lemon or orange to light brownish yellow or orange lemon with green cast on.	Upto 50%	Ripe, Grainy, fine to medium.	Light to medium	NIL
LEAF AND TIPS.	T.M.G. (Top medium green)	Deep lemon yellow or orange to light brownish orange or yellow with green cast on.	Upto 50%	Ripe to under ripe, less grainy to close grained, medium to coarse.	Medium to heavy.	NIL

(3) In Schedule III, after the grade designation "VS" "2" and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:

Grade Designation	Colour	Texture	Blemish	Special Characteristics
1	2	3	4	5
Stems *	—	—	—	Stems shall consist of midribs of leave removed to the extent of at least three fifths or 60 per cent of length of leaf in the process of stemming from suncured Virgina varieties of Tobacco and their hybride having similar characteristics

(4) In schedule III, foot note (i) shall be substituted by the following namely:—

"Packing under this grade will be permitted under firm order indicating the quality and quantity of produce desired, provided such qualities and quantities are considered fit for export".

[No. 10-4/78-A.M.]

नई दिल्ली, 21 मार्च 1983

सा०का०नि० 302.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, सांख्यिकीय खंड (सांख्यिकीय सहायक, सांख्यिकीय लिपिक और परिकलन मशीन प्रचालक अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1980 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विपणन और निरीक्षण निदेशालय, सांख्यिकीय खंड (सांख्यिकीय सहायक, सांख्यिकीय लिपिक और परिकलन मशीन प्रचालक, अराजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1983 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. विपणन और निरीक्षण निदेशालय, सांख्यिकीय खंड (सांख्यिकीय सहायक, सांख्यिकीय लिपिक और परिकलन मशीन प्रचालक-अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1980 की अनुसूची में, परिकलन मशीन प्रचालक के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने स्तम्भ 7 के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1) मैट्रिकुलेशन या उसके समतुल्य, तथा गणित एक विषय के रूप में रहा हो ।

(2) परिकलन मशीन के प्रचालन का कम से कम छह मास का अनुभव ।

[सं० 1-2/80-ए एम (पी टी)]

बी०डी० टेकरीवाल, निदेशक (विपणन)

New Delhi, the 21st March, 1983

G.S.R. 302.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Marketing and Inspection, Statistical Wing (Statistical Assistant, Statistical Clerk and Calculating Machine Operator—Non Gazetted post) Recruitment Rules, 1980, namely :—

1. (i) These rules may be called the Directorate of Marketing and Inspection, Statistical Wing (Statistical Assistant, Statistical Clerk and Calculating Machine Operator—Non-Gazetted posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1983.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Marketing and Inspection, Statistical Wing (Statistical Assistant, Statistical Clerk and Calculating Machine Operator—Non Gazetted posts) Recruitment Rules, 1980, against serial number 3 relating to the post of Calculating Machine Operator under column 7, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"(1) Matriculation or its equivalent with Mathematics as one of the subjects.

(2) At least six month's experience of operating Calculating Machine."

[No. 1-2/80-AM(Pt.)]

B. D. TEKRIWAL, Director (Marketing).

1503 GI/82—4.

(इलेक्ट्रोनिकी विभाग)

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1983

सा०का०नि० 303.—केन्द्रीय सरकार, इलेक्ट्रोनिकी विभाग (समूह "ख" और समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1977 के नियम 5 के अनुसरण में इलेक्ट्रोनिकी विभाग (सहायक श्रेणी खुली प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1982 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रोनिकी विभाग (सहायक श्रेणी खुली प्रतियोगिता परीक्षा) (संशोधन) विनियम, 1983 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. इलेक्ट्रोनिकी विभाग (सहायक श्रेणी खुली प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1982 में,—

(क) शैक्षिक अर्हताओं से संबंधित विनियम 4 के उपविनियम (iii) में परन्तुक का लोप किया जाएगा;

(ख) विनियम 5 के उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

इलेक्ट्रोनिकी विभाग द्वारा किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जो विनियम 4 के अनुसार पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करता है और इस प्रकार परीक्षा में प्रविष्ट नहीं किया जाता है, आवेदन-पत्र के साथ परीक्षा के लिए फीस के रूप में संदत्त रकम के 50 प्रतिशत की दर पर प्रतिदाय किया जाएगा ।"

टिप्पण :—भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) में अधिसूचना सं० ए-12018/7/81-पी०पी० तारीख 10-2-1982 (सा०का०नि० 199 तारीख 27-2-1982 द्वारा प्रकाशित विनियमों का यह पहला संशोधन है ।

[सं०ए-12018/7/81-पी०पी०]

जी०पी० गुप्त, अवर सचिव

(DEPARTMENT OF ELECTRONICS)

New Delhi, the 9th March, 1983

G.S.R. 303.—In pursuance of rule 5 of the Department of Electronics (Group 'B' and Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1977, the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Department of Electronics (Assistants' Grade Open Competitive Examination) Regulations 1982, namely :—

1. Short title.—(1) These regulations may be called the Department of Electronics (Assistants' Grade Open Competitive Examination) (Amendment) Regulations, 1983.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Electronics (Assistants' Grade Open Competitive Examination) Regulations, 1982,—

(a) in sub-regulation (iii) of regulation 4, relating to educational qualifications, the proviso shall be omitted;

(b) for sub-regulation (2) of regulation 5 the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"A refund at the rate of 50 per cent of the amount paid as fees for the examination, along with the application form, shall be made by the Department of Electronics to a candidate who does not fulfil the conditions of eligiblity as per regulation 4 and is thus not admitted to the examination.".

Note : This is the first amendment of the regulations which were published vide Notification No. A-12018/7/81-PP dated 10-2-1982 (G.S.R. No. 199 dated 27-2-1982) in Part II, Section 3, Sub-section (i) of Gazette of India.

[No. A-12018/7/81-PP]

CORRIGENDUM.

G.S.R. 304.—In the notification of the Government of India in the Department of Electronics No G.S.R. 199 dated the 10th February, 1982 relating to the Department of Electronics (Assistants' Grade Open Competitive Examination) Regulations, 1982, published in the issue dated the 27th February, 1982 of Part II, Section 3, Sub-section (i) of Gazette of India :—

(1) in Note : 1 under sub-regulation (ii) of regulation 4 relating to age, in line B, for "effect the" read "effect in the";

(2) in regulation 11 relating to Probation, in line 1, for "appropriate" read "instance";

(3) in the first Schedule,—

(i) in second sub-para of note 2 under clause 4 relating to option of Hindi or English for answering the paper for "exercise" read "exercised";

(ii) in clause 8 relating to deduction of marks on account of handwriting, for "eligible" read "illegible".

[No. A. 12018/7/81-PP]
O. P. GUPTA, Under Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1983

सा०का०नि० 305.—संविधान की धारा 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में राष्ट्रपति एतद्द्वारा भारतीय रेल महानगर परिवहन परियोजना (रेलें), कलकत्ता, (विधि सलाहकार) भर्ती नियम, 1978 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बना है, यथा :—

1. (1) इन नियमों को भारतीय रेल महानगर परिवहन परियोजना (रेलें), कलकत्ता, (विधि सलाहकार) भर्ती (संशोधन) (संशोधित) नियम कहा जाये।

(2) ये नियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. भारतीय रेल महानगर परिवहन परियोजना (रेलें), कलकत्ता (विधि सलाहकार) भर्ती नियम,* 1978 की अनुसूची में कालम '6' के अन्तर्गत प्रविष्टि में दिये गये कोष्ठकों तथा शब्दों (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय) के लिए निम्नलिखित कोष्ठक, शब्द तथा आंकड़े प्रतिस्थापित किये जायेंगे, यथा :—

"(भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय)"

*सं०का०नि० 1979 का 351

[सं० 78/ई (जी०आर०) 1/30/1]
आर० रामानाथन, संयुक्त निदेशक, स्था राज (भ)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 18th March, 1983

G.S.R. 305.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Railways Metropolitan Transport Project (Railways), Calcutta, (Legal Adviser) Recruitment Rules, 1978, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Railways Matrapolitan Transport Project (Railways), Calcutta, (Legal Adviser) Recruitment (Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Railway Metropolitan Transport Project (Railways), Calcutta (Legal Adviser) Recruitment Rules, *1978, in the entry under column 6, for the brackets and words "(Relaxable for Government servants)" the following brackets, words and figure shall be substituted, namely :—

"(Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)".

*GSR 351 of 1979

[No. 78/E(GR)I/30/1]
R. RAMANATHAN, Jt. Director,
Estt. G(R)

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1983

सा०का०नि० 306.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **खान सुरक्षा महानिदेशालय (समूह "क" और समूह 'ख" पद) भर्ती नियम, 1980 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान सुरक्षा महानिदेशालय (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खान सुरक्षा महानिदेशालय (समूह "क" और समूह ख" पद) भर्ती नियम, 1980 में खान सुरक्षा महानिदेशक

के पद से संबंधित क्रम सं० 1, (i) खान सुरक्षा उप-महानिदेशक और (ii) श्रम मंत्रालय में तकनीकी सलाहकार के पदों से संबंधित क्रम सं० 2 और खान सुरक्षा निदेशक पद से संबंधित क्रम सं० 3 के सामने स्तम्भ 8 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"आयु————नहीं ।

शैक्षिक अर्हताएं—हां, किन्तु 1 जनवरी, 1969 के पूर्व खान अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन खान निरीक्षकों के रूप में नियुक्त अधिकारियों के सम्बन्ध में धातुत्पादक खान विनियम, 1961 (अनिर्बंधित) के अधीन प्रदत्त प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक का प्रमाण पत्र रखना आवश्यक नहीं है ।

[फा०सं० ए-12018/1/78-एम 1]

जे०के० जैन, अवर सचिव

**टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र तारीख 8 मार्च, 1980 भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) पृष्ठ सं० 528–541 पर अधिसूचना सं० सा०का०नि० 287 के अधीन प्रकाशित किए गए थे ।

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा, संशोधित किए गए :—

(1) अधिसूचना सं० स०क०नि० 610, तारीख 10 जून, 1981

(2) अधिसूचना सं० स०क०नि० 237, तारीख 20 फरवरी, 1982

(3) अधिसूचना सं० स०क०नि० 416, तारीख 17 अप्रैल, 1982

(4) अधिसूचना सं० स०क०नि० 562, तारीख 5 जून, 1982

(5) अधिसूचना सं० सा०का०नि० 142 तारीख 12 फरवरी, 1982

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(Department of Labour)

New Delhi, the 24th March, 1983

G.S.R. 306.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the **Directorate-General of Mines Safety (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1980, namely :—

1. (1) These rules may be called the Directorate-General of Mines Safety (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate-General of Mines Safety (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1980, against serial number (1) relating to the post of Director General of Mines Safety, serial number (2) relating to the posts of (i) Deputy Director General of Mines Safety and (ii) Technical Adviser in the Ministry of Labour, and serial number (3) relating to the post of Director of Mines Safety, for the entries under column 8, the following entries shall be substituted namely :—

"Age—No.

Educational Qualifications—Yes, but possession of First Class Mine Manager's Certificate granted under the Metalliferous Mines Regulations, 1961 (Unrestricted) not necessary in respect of officers appointed as Inspectors of Mines under sub-section (1) of section 5 of the Mines Act, 1952, prior to 1st January, 1969."

[F. No. A-12018/1/78-M I]

J. K. JAIN, Under Secy.

**Note :—Principal rules published vide Notification No. G.S.R. 287, dated tht 20th February, 1980, in the Gazette of India, dated the 8th March, 1980, Part-II, Section 3, Sub-section (i) at pages 528-541, Subsequently amended by :—

(i) Notification No. G.S.R. 610, dated 10th June, 1981

(ii) Notification No. G.S.R. 237, dated 20th Feb., 1982

(iii) Notification No. G.S.R. 416, dated 17th April, 1982

(iv) Notification No. G.S.R. 562, dated 5th June, 1982

(v) Notification No G.S.R. 142, dated 13th Feb., 1982

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1983

सा० का० नि० 307.—केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधीन सतर्कता अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्,—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (सतर्कता अधिकारी) भर्ती नियम, 1982 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संख्या वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताएं : वे व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसके अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना आवश्यक अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 अधीन अनुज्ञेय है। या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	6क	7
समन्वेषण अधिकारी	7 (1982) कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "ख"	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति / संविदा पर नियुक्ति के लिए चयन और इस

8	9	10	11	12	13
			कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/केन्द्रीय/राज्य सरकारों अर्द्ध सरकार, कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी (क)(i) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 550-900 रु० या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष सेवा की है, या (iii) जिन्होंने 425-705 रु० या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 8 वर्ष सेवा की है, और (ख) जिसके पास अनुशासनिक विषयों में कार्यवाही करने का अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, इसके अंतर्गत इस नियुक्ति से अव्यवहित पूर्व धृत किसी अन्य काडर वाले पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है।		नियमों के किसी उपबन्ध को संशोधित/शिथिल करने समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

[सं० ए-12018/1/82 पी० एफ०-1]

आर० एस० जैन, उप सचिव

New Delhi, the 26th March, 1983

G.S.R. 307.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 5D of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund, with the approval of the Central Government, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Vigilance Officer under the Employees' Provident Fund Organisation, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation (Vigilance Officer) Recruitment Rules, 1982.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, Classification and Scale of pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 o 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons or parts.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post.	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	6(a)	7
Vigilance Officer	*7 (1982) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment, Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable.	By transfer on deputation. (including short-term contract).	Transfer on deputation (including short-term contract): Officers of the Employees' Provident Fund Organisation/Central/State Governments/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisation : (a) (i) holding analogous posts; or (ii) with three years' service in posts in the scale of pay of Rs. 550-900 or equivalent; or (iii) with 8 years' service in posts in the scale of Rs. 425-700 or equivalent; and (b) possessing experience of dealing with disciplinary matters. (Period of deputation/contract including period of deputation in another ex-cadre post holding immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed 3 years).	Not applicable	Union Public Service Commission shall be consulted while selecting an officer for appointment on deputation/contract and amending / relaxing any of the provisions of these rules.

[No. A-12018/1/82-PF-I]
R. S. JAIN, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI-110054, 1983